संख्या–72/XVIII(II)/2009–2(80)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 27/फरवरी/2009

विषयः–दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2693/आ0ले0–08 दिनांक–29.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/9?–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील सदर में मौजा मारखम ग्रान्ट, जिला देहरादून में खसरा संख्या–1466मि0 रकबा 0.38 एकड भूमि जो खाता संख्या–1520 नदी सौंग श्रेणी–6(1) में दर्ज कागजात है, को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स को वर्तमान बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनाक–09अक्टूबर, 198? में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या– 1 से 5 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित

.....2

राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 72 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल गौड़ी।
3. श्री दिनेश जुयाल, रेजिडेन्ट एडिटर, एच0टी0 मीडिया लि0, पंजीकृत कार्यालय हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, 18–20 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।